

उत्तर प्रदेश गजट, २० फरवरी, १९६० ई० (फाल्गुन १, १८८१ शके संवत्)

कार्यालय उपमहाप्रबंधक
दूरसंचार, परियोजना
वाराणसी
कम सं० २५६
दिनांक १०-६-६०
यस संचार निगम लिमिटेड

सुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-एस-टी/३६-ए-१९१६ (एस-टी)-५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक ९ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ संख्या ३२ पर प्रकाशित विज्ञापित संख्या ६७९७ (एस-एस)/३६-ए-१९१६ (एस-एस)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में शब्द "सुपरिटेण्डेंट इन्जीनियर" के स्थान पर शब्द "सुपरिटेण्डिंग इन्जीनियर" पढ़िये।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र खन्नेना,
सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-३३१-४०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अवेजित जांव तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उपधारा के प्रतिस्थापन द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रकृत अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांव तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, कर्जा और फीटों में	विवरण
१-मेरठ रोड	१-मेरठ-बागपत रोड	३ मील से ३१ मील तक	मनि की सीमा परमर्तों द्वारा अंकित की गई है।
	२-बागपत-सहारनपुर	१ मील से २४ मील तक	"
	३-बागपत-लीनो-शाहदपुर	शून्य से १७ मील तक २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-मुआना	२ मील से १७ मील तक	"
	५-मेरठ-सुल्तानपुर	२ मील से २९ मील तक	"
	६-टी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील तक	"
	७-टी० टी० रोड	८७० मील से ८७३ मील तक	"
	८-बागपत-बलसटोकी	१ मील से ६ मील तक	"
	९-मुरादनगर-रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०-मोदीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११-मोदीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सबाना रोड	२.४२६ से १२.३.३२०	"
	१३-इरेला-सदरेना रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४-बुलन्दशहर-मेनागढ़ रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५-बरील-बपरीली	१ से ९ मील तक	"
	१६-मेरठ-बरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७-नेशनल हाईवे नं० २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८-टी० टी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश पाउंडर	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
	१९-गाजीपुर-हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०-हापुरगढ़ रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-टी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील तक	"
	२-जलोनी-जनसेय-पिसा-विजनीर	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-शामल-रूना	२ मील से ३१ मील तक	"
	४-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर	७७ मील से १० मील तक	"
	५-मुजफ्फरनगर-विजनीर	७३ मील से २१ मील तक	"
	६-मोरीना-रकारताल	शून्य से ३ मील तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-पूरना-टी०	७ मील तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-बागपत-सहारनपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

४६ क

For Reliance BP Mobility Limited

Authorized Signatory

जिला

मवेशी मण्डल

हरी मील, फरवरी, १९६० ई० (विबरण)

४६-हरदोई

१-कलकत्ता-१ रोड-शाहजहापुर रोड

मील २८ से मील १३ तक (१०३ ई० १०३० मील तक) भूमि की सीमा पर्यटन द्वारा अंकित की गई है।

२-उदाय-हरदोई रोड

मील ३७ से मील ७२ तक

३-हरदोई-बी.पी. रोड

मील १ से मील २४ तक

४-हरदोई-मिनाजी रोड

शून्य से मील १७ तक

५-हरदोई-से. रोड

मील २ से मील १४ तक

६-चकलबन्सी-कनेरासबीला रोड

मील २५ से मील २९ तक

७-शाहजहापुर-सी. रोड

शून्य से मील २ तक

सी० सी० ट्रेक

८-हतोली-गो. रोड

शून्य से मील ५ तक

९-मुलीपुरा से नूर मित्त रोड

शून्य से मील ३ तक

४७-जोरी

१-सीतापुर-लक्ष्मीपुर रोड

मील २१ से मील २८ तक (८ मील)

२-लक्ष्मीपुर-शा. जहापुर रोड

मील १ से मील ५२ तक (५२ मील)

३-लक्ष्मीपुर-नि. रोड

मील १ से २२ (२२ मील)

४-निषासन-मो. रोड

मील १ से १२ (क० १ से २)

५-पलिया-त्रिकुलिया-जुजुरिया रोड

मील १ से २३

६-ए०. बार० से लो. गोला मोहम्मदी रोड एल० एस० रोड

मील ३० क० ३ से मील ३० क० ७ तक

७-ए०. बार० से लो. गोला मोहम्मदी रोड एल० एस० रोड

मील ३० क० ८ से मील ३१ क० ५ तक

८-ए०. बार० से लो. गोला मोहम्मदी रोड एल० एस० रोड

मील ३१ क० ६ से मील ३२ क० ६ तक

९-ए०. बार० से लो. गोला मोहम्मदी रोड एल० एस० रोड

मील ३३ से मील ३६ क० ६ तक

१०-लक्ष्मीपुर-एरा-इ. जहापुर रोड

मील २ (क० ४ से मील ३०)

भूमि की सीमा पर्यटन द्वारा अंकित की गई है।

चामाजिक निदेशक

प्रभागीय निदेशक

चामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई